

सरकार बनाम सुना

24.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अपाणी बाबजूद सूचना अनुपस्थित। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौरान बहस निवेदन किया कि आवंटी सुना पुत्र जगन्नाथ जाति जाया निवारणी महरना को ग्राम महरना में स्थित स्वसरा नम्बर 118/9057, 1711,1761 रकबा 0.97 दिनांक 17.01.2001 को आवंटन की गई थी। जिस पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर गहन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कही भी अंकित नहीं किया है कि आवंटी द्वारा किस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण अस्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार गानी जाकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।



अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी